बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–6/निदे0(PTGS)-31-02/2017- 96

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गया/नवादा/कैमूर (भभुआ)/बांका।

पटना, दिनांक– 15.06.17

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आदिम जनजातियों (PTGS) के संरक्षण सह विकास योजना के तहत वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से अनुदान के रुप में प्राप्त राशि एवं विमुक्त राशि के विरुद्ध Goatery-Breeding-cum-Goat rearing unit (Black Bengal 10+1) के लिए 154.09 लाख (एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार रु0) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन।

2– निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश सं0–14 दिनांक–2.6.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आदिम जनजातियों (PTGS) के संरक्षण सह विकास योजना के तहत वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से अनुदान के रुप में प्राप्त एवं विमुक्त राशि के विरुद्ध Goatery-Breeding-cum-Goat rearing unit (Black Bengal 10+1) के लिए 154.09 लाख (एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार रु0) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

3– अनु0 जनजाति के लिए भारित व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं0–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक शीर्ष 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष –02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास–उपशीर्ष–0202–अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–पी0एफ0एम0एस0 कोड–TSP 1-विपत्र कोड–44–2225021020202– विषय शीर्ष 0202.33.01–सब्सिडी मद में कुल ₹154.09 लाख विकलनीय होगा।

4– इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेगें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

6. वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक–11022/16/2012–NGO- दिनांक–31.03.2017 द्वारा स्वीकृत 154.09 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 154.09 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध व्यय हेतु राशि आवंटित की जा रही है। इस राशि से गया, नवादा एवं कैमूर जिला के बिरहोर,परहिया, कोरबा तथा बांका जिला के माल पहाड़िया आदिम जनजाति (PTGS) के परिवार को लाभान्वित किया जायेगा।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

8– भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 11022 / 16 / 2012–NGO- दिनांक–31.03.2017 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। नाबार्ड के पत्र सं0–CPD/892/PLP-17-18/2016-17 दिनांक 21.06.2016 में निहित निदेश के आलोक में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9– सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय,साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

10–संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

विश्वासभाजन,
(वीरेन्द्र कुमार) 6/18
निदेशक ।

ज्ञापांक –6 / निदे0(PTGS)-31-02/2017-- 26 पटना, दिनांक– 15.06.17
प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 6/18

ज्ञापांक 6 / निदे0(PTGS)-31-02/2017- 26 पटना, दिनांक– 15.06.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उपविकास आयुक्त / उप निदेशक(मु0) / संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी / अवर सचिव / सहायक निदेशक / लेखा शाखा / बजट शाखा / सांख्यिकी कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6(डी0) /8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक। 6/17

ज्ञापांक 6 / निदे0(PTGS)-31-02/2017- 26 पटना, दिनांक– 15.06.17
प्रतिलिपि:–अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार को उनके पत्रांक–11022 / 16 / 2012–NGO- दिनांक–31.03.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक। 6/18

वित्तीय वर्ष 2017—18 में गया, नवादा, कैमूर जिला के बिरहोर, कोरवा, परहिया एवं बाका जिला के माल पहाड़िया आदिम जनजाति (पी0टी0जी0एस0)के संरक्षण सह विकास योजना के तहत आवंटित राशि की विवरणी

(राशि लाख में)

| क्रमांक | जिला का नाम | सामाजिक आर्थिक सर्वे 2013 के अनुसार बिरहोर, कोरवा, परहिया एवं माल पहाड़िया परिवारों की संख्या | स्वीकृत युनिट | गोटरी ब्रिडिंग कम गोट रियरिंग युनिट स्वीकृत राशि @75000/- per unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गया | 479 | 82 | 61.84 |
| 2 | नवादा | 181 | 31 | 23.25 |
| 3 | कैमूर (भभुआ) | 253 | 43 | 32.25 |
| 4 | बांका | 69 | 49 | 36.75 |
| | कुल योग | 982 | 205 | 154.09 |

(एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार रु0 मात्र)

निदेशक 15/6/17

पत्रांक 26 दिनाक 15.06.17 का अनुलग्नक